INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK812722253376 42U
Certificate Issued Date	:	26-Apr-2022 02:10 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1212704/ RUDRAPUR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK12127046734476800048 2U
Purchased by	:	KANTA PRASAD SON OF LALTA PRASAD
Description of Document	:	Article 64(A) Trust
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	KANTA PRASAD SON OF LALTA PRASAD
Second Party	:	BHAICHARA EKTA MANCH TRUST
Stamp Duty Paid By	:	KANTA PRASAD SON OF LALTA PRASAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

Please write or type below this line

:: ट्रस्ट डीड ::

यह सामाजिक ट्रस्ट डीड आज तारीख–21.04.2022 को रूद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) में निष्पादित की जा रही है।

कांता प्रसाद (आधार संख्या–8919–0300–0155) पुत्र श्री लालता प्रसाद निवासी – पहाड़गंज, रूद्रपुर, तह0 रूद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, जिनके द्वारा इस ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है, जिन्हे आगे चलकर इस ट्रस्टडीड मे "सेटलर या अध्यक्ष भी कहा गया है।

एवं

श्रीमती काजल गंगवार (**Adhar - 7833-6843-9181**) पत्नी श्री कांता प्रसाद गंगवार निवासी–भूतबंगला, रूद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर।

जिन्हे आगे चलकर इस ट्रस्टडीड मे "ट्रस्टी" भी कहा गया है।

जिनके द्वारा एक धार्मिक व सामाजिक ट्रस्ट बनाये जाने के लिये प्रतिज्ञा की गयी।

1. ट्रस्ट का नामः

इस धर्मार्थ ट्रस्ट का नाम– **भाईचारा एकता मंच ट्रस्ट,** (BHAICHARA EKTA MANCH TRUST) होगा।

ट्रस्ट का मुख्य कार्यायल का पता– **किच्छा रोड, रम्पुरा, रूद्रपुर, तह0 रूद्रपुर, जिला उधम सिह नगर (उत्तराखण्ड)** होगा, इसके अलावा ट्रस्ट अपने कार्यक्षेत्र मे अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित करेगीं।

2. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्रः–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र भारतवर्ष होगा।

3. सदस्यता हेतु योग्यताः–

1. जो व्यक्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों मे विश्वास रखता हो।
2. कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हों।

Contd.....2/..

3. कोई भी व्यक्ति, जो पागल, दिवालिया न हो।
4. कोई भी व्यक्ति जो समाज सेवा के क्षेत्र मे काम करना चाहते हों।

4. ट्रस्ट की पूंजीः–

संस्थापक ट्रस्टीज द्वारा कुल मुवलिग 10,000.00 (दस हजार रूपया) की पूंजी से ट्रस्ट में लगायी गयी है। जो ट्रस्ट के उददेश्यों की पूति में प्रयोग की जायेगी।

5. ट्रस्ट के उद्देश्यः–

(1) समाज के गरीब, दबे, कुचले लोगों की सेवा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, भ्रष्टाचार व अत्याचार से लोगों को बचाना, तथा नशा मुक्ति केन्द्र, नशा मुक्ति हास्पीटल आदि की स्थापना करना, इनका संचालन करना।

(2) गरीबी उन्मूलन, जलसंचय, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, महिला सशक्तिकरण एवं ईको फ्रेण्डली, कृषि वानिकी, कृषि संरक्षण व संवर्धन हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।

(3) नशा विरोधी अभियान चलाकर आमजन को जागरूक करना, जगह–जगह शिविर लगवाकर आमजन को नेत्रदान व रक्तदान एवं कैन्सर व एच.आई0वी0 आदि जैसी जानलेवा बीमारियों के लिये जागरूक करना। ब्लड बैंक व नेत्र बैंक की स्थापना करना।

(4) प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों को भोजन, कपडे दवा व अन्य प्रकार से सहायता पहुंचाने का प्रयास करना। विभिन्न विधाओं के चिकित्सालयों की स्थापना करना। चिकित्सा शिविर लगवाकर लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना।

(5) अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम आदि की स्थापना कर इनका संचालन करना।

(6) गरीब व असहाय लोगों, बच्चों व वृद्ध लोगों के लिये आवास की निःशुल्क व्यवस्था कराना तथा इनकी हर सम्भव मदद कर समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करना।

(7) सरकार के बेटी पढाओ व बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान, यातायात सुरक्षा आदि में प्रतिभाग करना।

(8) गरीब, असहाय, दिव्यांग, अनाथ बालक एवं बालिकाओं के लिए निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, विद्यालय, शैक्षिणिक संस्थान आदि की स्थापना करना।

(9). शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की स्थापना करना, इनका संचालन करना, बालक एवं बालिकाओं के लिए हास्टल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था करना।

(10) दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षण व्यवस्था करना।

(11) विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वरोजगार से जोड़ना।

Contd....3/..

(12) अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, व आम व्यक्तियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना, दान व सरकारी अनुदान आदि प्राप्त करना।

(13) ट्रस्ट द्वारा सिलाई, कढाई, बुनाई, ब्यूटीशियिन, गुड़िया बनाना, आचार बनाना, पापड़ बनाना आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा, तथा सर्टीफिकेट भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

(14) ट्रस्ट द्वारा योग शिविर एंवं अन्य शारीरिक स्वास्थ्यता के लिए शिविर चलाया जायेगा।

(15) अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन आदि क्रय करना, किराये पर लेना तथा ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्तियों को किराये पर देना, बैंक, वित्तीय संस्थान, निगम या व्यक्ति विशेष के हक मे बंधक कर ऋण प्राप्त करना।

(16) समाज मे धार्मिक सौहार्द बनाये रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, सभी जातियों के लोगों को संगठित करना, उनका विकास करना, गरीब लोगों की आर्थिक मदद करना, सभी जातियों की गरीब कन्याओं के विवाह कराना।

6. ट्रस्ट की सम्पत्तियां व फण्डसः

ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्तियाँ एव फण्डस जो समय– समय पर क्रय, विनिमय, दान, सहयोग या अन्य किसी भी प्रकार से अर्जित की जायेंगी, पर ट्रस्ट का अधिकार व स्वामित्व रहेगा। जो ट्रस्ट सम्पत्तियां कहलायेगी। सभी प्रकार के दान प्राप्ति की रसीद ट्रस्ट द्वारा जारी की जायेगी और इस राशि को आगामी कार्य दिवस में बैंक में आवश्यक रूप से जमा करवाया जायेगा। किसी भी प्रकार से ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति को विकय अथवा बंधक नहीं किया जा सकता है।

7. बोर्ड आफ ट्रस्टीज एवं प्रबन्धकारिणी समितिः–

वर्तमान संस्थापक ट्रस्टीज जो कि मुख्य ट्रस्टी हैं, जो बोर्ड आंफ ट्रस्टीज होगें। ट्रस्ट का कार्य ट्रस्टीज (ट्रस्टीज के परिषद) के माध्यम से ही संचालित होगा। यदि वह आवश्यक समझे तो प्रबन्धकारिणी का गठन कर उसके माध्यम से ट्रस्ट का कार्य संचालित करा सकेगें।

Contd.....4/..

काजल

अध्यक्ष कांता प्रसाद को ही प्रबन्धकारिणी गठित करने का अधिकार होगा। इसमें अध्यक्ष का पद आजीवन सदस्य का पद होगा, जिस पर चुनाव नहीं होगा, तथा अध्यक्ष कांता प्रसाद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ट्रस्ट की अध्यक्ष होगीं तथा पत्नी के स्वर्गवास के बाद, यदि पत्नी द्वारा लिखित रूप मे अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति की जाती है, अन्यथा की स्थिति मे प्रबन्धकारिणी का चुनाव अन्य ट्रस्टीयों के द्वारा किया जायेगा, ट्रस्ट मे ट्रस्टीयों की नियुक्ति का अधिकार केवल अध्यक्ष को होगा, अध्यक्ष कांता प्रसाद और उनकी पत्नी के स्वर्गवास के उपरान्त ही शेष ट्रस्टी 2/3 बहुमत से आवश्यकतानुसार अन्य ट्रस्टीयों की नियुक्ति रिक्त पदों को भरने के लिए कर सकेगें। प्रबन्धकारिणी के गठन मे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होगा। प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल 5 वर्षो के लिए होगा। प्रबन्धकारिणी की अवधि समाप्ति पर अध्यक्ष द्वारा नयी प्रबन्धकारिणी की नियुक्त की जायेगी।

ट्रस्ट के संचालन हेतु साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, तथा साधारण सभा के सदस्यो मे से ही अध्यक्ष द्वारा अपनी लिखित अनुमति के द्वारा प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा।

ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी और आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है, इसी प्रकार प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठक वर्ष मे एक बार अवश्य बुलाई जायेगी तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकेगीं।

ट्रस्ट की साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी तथा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की विशेष बैठक के लिए सूचना 3 दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी।

<u>ट्रस्टीज की नियुक्ति एवं रिटायरमेन्टः-</u>

1. केवल अध्यक्ष ट्रस्टी ही आजीवन ट्रस्टी हैं, इनको किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकेगा। अध्यक्ष के अलावा सभी पद सामान्य सदस्य पद होगें, जिनकी सदस्यता अस्थाई होगी।

2. किसी ट्रस्टी की मृत्यु, ट्रस्टी की अयोग्यता, ट्रस्टी के त्यागपत्र देने के कारण उनके स्थान पर रिक्त हुये पद की पूर्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (ट्रस्टीज की परिषद) के अनुमोदन के

Contd.....5/..

माध्यम से कर लेगी। नये ट्रस्टी को वही अधिकार प्राप्त होगें जिनके स्थान पर उसकी नियुक्ति रिक्त स्थान की पूर्ति की गयी है।

3. अध्यक्ष ट्रस्टी को ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति और हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। जिनका वह योग्यतानुसार वेतन मानदेय भुगतान करेंगे।

8. ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु किये जाने वाले खर्चो की भरपाई व पारिश्रमिक।

1. ट्रस्टी कोई भी पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा और जो भी कार्य करेगा, वह केवल सेवा भाव से करेगा।

2. लेकिन वह ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु अपने कर्तव्यों के निर्वहन जैसे सम्पत्ति परिसम्पत्तियों के परिसंरक्षण के बावत अपने पास से किये जाने वाले खर्चों के बावत केवल वास्तविक खर्च ही लेने का अधिकारी होगा।

9. ट्रस्टीज परिषद (BOARD OF TRUSTIES)/प्रबन्धकारिणी के अधिकार।

1. अध्यक्ष ट्रस्टी :-

अध्यक्ष ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी गठन करें। यदि कोई भी ट्रस्ट के उददेश्यों के विपरीत कार्य करता है, तो उसको हटाने के लिये अध्यक्ष ट्रस्टी को पूर्ण अधिकार प्राप्त होगें। किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष ट्रस्टी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

अध्यक्ष ट्रस्टी ही ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त चल व अचल सम्पत्तियों की देखभाल, उनका संरक्षण व प्रबन्ध करेगें एवं प्रबन्धकारिणी पदाधिकारियों को निर्देश देकर उनसे कार्य करवायेगें। कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं संस्था विरोधी कार्य करने वाले ट्रस्टियों/कर्मचारियों को निष्कासित बर्खास्त करना, अकस्मात किसी सदस्य की मृत्यु अयोग्यता अर्थात सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में अध्यक्ष ट्रस्ट्रीज को यह अधिकार होगा कि वह उसके स्थान पर अन्य सदस्य की अस्थाई नियुक्ति करें।

Contd.....6/..

काजल

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट के हितार्थ कार्य जो आम सभा एवं प्रबन्ध कारिणी से स्वीकृत हो, करवाना है।

2. उपाध्यक्षः– अध्यक्ष की अनुपस्थिति अध्यक्ष द्वारा लिखित में दी गई अनुमति के अनुसार अध्यक्ष के सभी कार्य करना तथा अध्यक्ष की आकास्मिक स्वर्गवास के उपरान्त पुनः अध्यक्ष की नियुक्ति न होने तक अध्यक्ष के सभी कार्य करना।

3. सचिव :– प्रबन्धकारिणी समिति आम सभा व अन्य सभी प्रकार की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, ट्रस्ट के आय व्यय संबंधी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट को प्रमाणित करवाना, आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी के समक्ष पेश करना, ट्रस्ट की ओर से पत्राचार करना। संस्था के हितार्थ ऐसे समस्त कार्य करना, जो संस्था के हित व उददेश्यों के विरूद्ध न हों, ट्रस्ट की तरफ से व ट्रस्ट के विरूद्व होने वाली अदालती कार्यवाही करना।

4. कोषाध्यक्षः– कोष का रख–रखाव करना, बिलों, बाउचर आदि तैयार करके भुगतान करना।

5. सदस्यः– ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति मे सहायता करना।

10. सदस्यता शुल्कः–

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार लिया जायेगा।

i. जो व्यक्ति ट्रस्ट में मुवलिग 10,000.00 रूपया (दस हजार रूपया) जमा करेगा या इतने रूपये की सम्पत्ति दान करेगा। ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी कहलायेगा। आजीवन

ii जो व्यक्ति ट्रस्ट में मुवलिग 2,100.00 रूपया (दो हजार एक सौ रूपया) प्रतिवर्ष जमा करेगा या इतने रूपये की सम्पत्ति प्रतिवर्ष दान करेगा। ट्रस्ट का सामान्य ट्रस्टी कहलायेगा।

11 ट्रस्टीज परिषद (BOARD OF TRUSTIES) के कर्तव्यः–

समस्त ट्रस्टीज का यह कर्तव्य होगा कि वह ट्रस्ट में आने वाले समस्त व्यक्तियों व आमजन से मृदुभाषी व्यवहार करेगें, किसी को भी अपशब्द नहीं कहेगें और न ही किसी को अपमानित करेगें। सभी व्यक्तियों से समानता का व्यवहार करेगें, ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति

Contd.....7/..

में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे और ट्रस्ट के नियम व शर्तो का पूर्णतया एवं अक्षरश: पालन करेगे।

12. ट्रस्ट का कोष (लेखा व्यवस्था) :–

ट्रस्ट का कोष दान, चन्दे, सदस्यता शुल्क व सहयोग राशि से बनाया जायेगा। जिसको किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। खाते से धन का आहरण अध्यक्ष तथा सचिव या कोषाध्यक्ष मे से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा, लेकिन धन का आहरण के लिए अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। प्रथम वित्त वर्ष 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। 1000.00 (एक हजार रूपया) से ऊपर का कोई भी भुगतान नकद स्वीकार नहीं होगा। किसी भी प्रकार के खर्च की राशि का भुगतान बाउचर बनाने बिल प्राप्त होने पर संरक्षक ट्रस्टी, अध्यक्ष, प्रबन्धक के अनुमोदन करने के उपरांत ही नकद चैक (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से ही किया जायेगा।

13 वार्षिक बैठक:–

ट्रस्टीज परिषद (BOARD OF TRUSTIES) व अन्य समस्त ट्रस्टीज व प्रबन्धकारिणी की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी, जिसमें आयदृव्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार पास कराये जायेगें। वार्षिक कार्यवाहियों का ब्यौरा भी प्रबन्धक द्वारा बैठक में रखा जायेगा और उसको पास करवाया जायेगा। इस बैठक में ट्रस्टीज को आगामी वर्ष की कार्यवाहियों एवं गतिविधियों व ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करने होगें। इसमें नये ट्रस्टीज की नियुक्ति भी की जा सकेगी।

इसी बैठक में यदि कोई आवश्यक संशोधन कराने हो तो वह 2/3 बहुमत से पास कराये जा सकेगें, यदि कोई आवष्यक संषोधन या प्रस्ताव कराना होगा, तो उसके लिए प्रबन्धकारिणी की विषेष बैठक का आयोजन किया जायेगा, तथा 2/3 बहुमत से कोई ससोधन या प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकेगा।

14. ट्रस्ट के आयदृव्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:–

आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेट से करवाया जायेगा।

Contd.....8/..

15. अदालती कार्यवाहीः–

ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ट्रस्ट के प्रबन्धक अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति का होगा, जिसको वह लिखित तौर पर नामित करेगें। किसी भी विवाद का केन्द्र रूद्रपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड स्थित सिविल न्यायालय ही होगा।

16. ट्रस्ट के अभिलेखः

(क) सदस्यता रजिस्टर।
(ख) कार्यवाही रजिस्टर।
(ग) स्टाक रजिस्टर।
(घ) कैश बुक।
(ड) रसीद बुक।
(च) ऐजेन्डा रजिस्टर आदि ।

17. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी

(क) अध्यक्ष – कांता प्रसाद
(ख) उपाध्यक्ष – बादल गंगवार
(ग) सचिव – श्रीमती काजल गंगवार
(घ) कोषाध्यक्ष – बृजेश कुमार गंगवार
(ड़) सदस्य – श्रीमती ममता श्रीवास्तव
(च) सदस्य – अवतार सिह बिष्ट
(छ) सदस्य – लालता प्रसाद

18. ट्रस्टी की अयोग्यता सदस्यता की समाप्तिः–

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जिसमें वर्तमान संस्थापक ट्रस्टी को छूट प्राप्त होगी। उनकी सदस्यता उनकी मृत्यु के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं की जा सकती है।

(क) मृत्यु हो जाने पर।
(ख) पागलपन हो जाने पर।
(ग) न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

Contd.....9/..

(घ) दिवालिया होने पर।
(ड) ट्रस्ट विरोधी कार्य करने व उददेश्यों को न मानने पर।
(च) ट्रस्ट की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने व किसी भी प्रकार की धोखाधडी कर ट्रस्ट आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर।
(च) त्यागपत्र देने पर।

19. ट्रस्ट का विघटनः

ट्रस्ट का विघटन वर्तमान अध्यक्ष (फाउन्डर) ट्रस्टीज के अंतिम निर्णय अनुसार ही किया जा सकेगा। अन्यथा की दशा में साधारण सभा की 2/3 बहुमत से ट्रस्ट का विघटन होगा।

20. विविधः–

ट्रस्ट के समस्त कार्य भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत किये जायेगें।

ट्रस्ट का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया है –

ट्रस्ट का मूल्यांकन रू0–10,000/– से किया गया है, जिसके लिए भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा–64 के अन्तर्गत रूपये–800/– की स्टाम्प डियूटी दी गई है।

अतः यह ट्रस्ट डीड निम्नलिखित ट्रस्टीज की उपस्थिति में रूबरू गवाहान तहरीर कर दी कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार दिनांक–21/04/2022 को अशोक कुमार सागर (एडवोकेट) रूद्रपुर, जिला–ऊधम सिंह नगर द्वारा टाईप/लिपिबद्व किया गया है।

गवाहान :–

1. श्री अवतार सिंह पुत्र श्री धरम सिंह
निवासी– टावर डी–3–2, फ्लैट नं0–54,
मैट्रोपॉलिस सिटी, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।
(आधार संख्या- 2439-2089-4748)

2. श्रीमती ममता श्रीवास्तव पत्नी श्री संजय श्रीवास्तव
निवासी– विवेक नगर, ट्रांजिट कैम्प, रूद्रपुर,
जिला उधम सिंह नगर।
(आधार संख्या- 8378-6318-2176)

ASHOK KUMAR SAGAR

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु

पक्षकार का नामः कान्ता प्रसाद पुत्र श्री लालता प्रसाद निवासी पहाड़गंज, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड 263153 ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

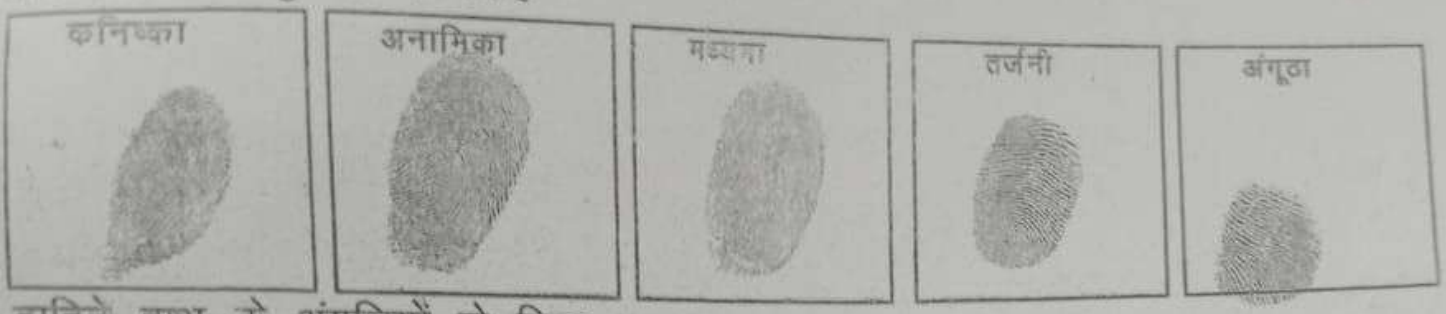

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

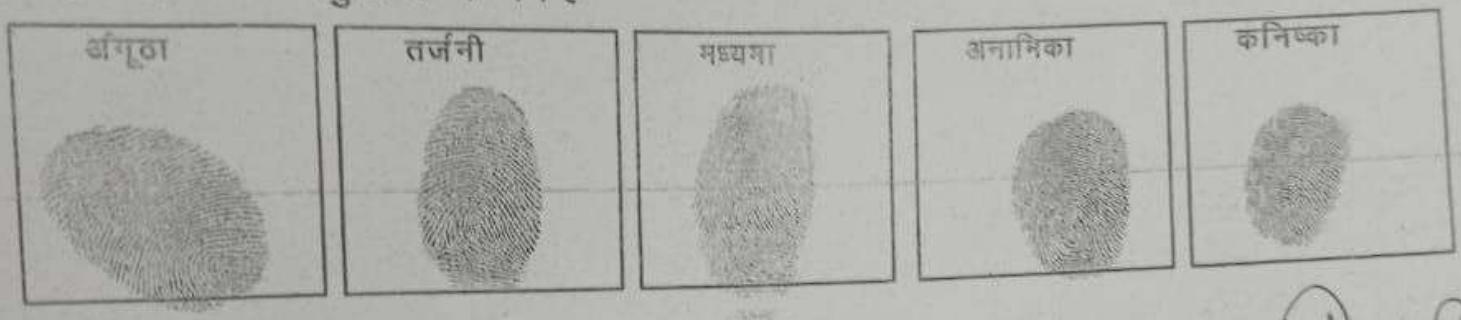

पक्षकार के हस्ताक्षर

पक्षकार का नामः श्रीमती काजल गंगवार पत्नी श्री कान्ता प्रसाद गंगवार निवासी भूतबंगला, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड 263153 ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

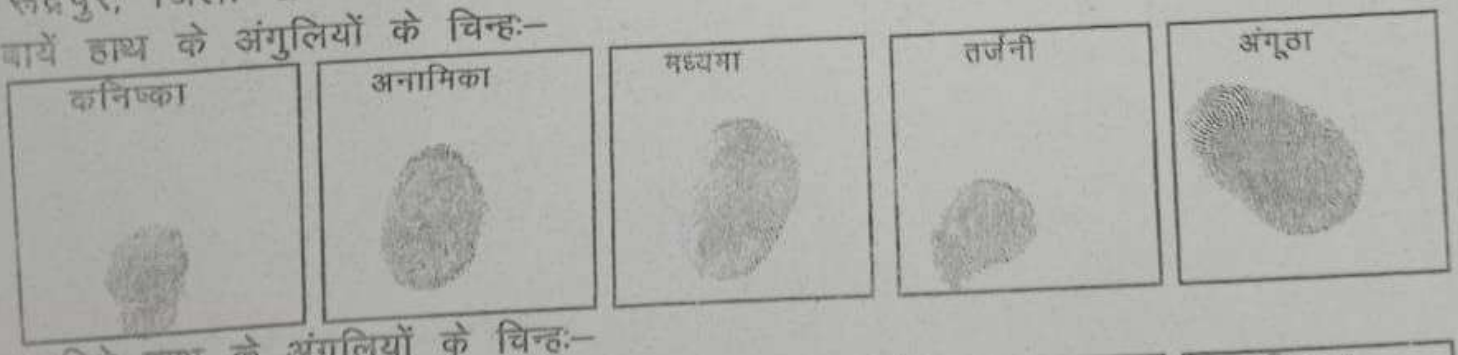

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

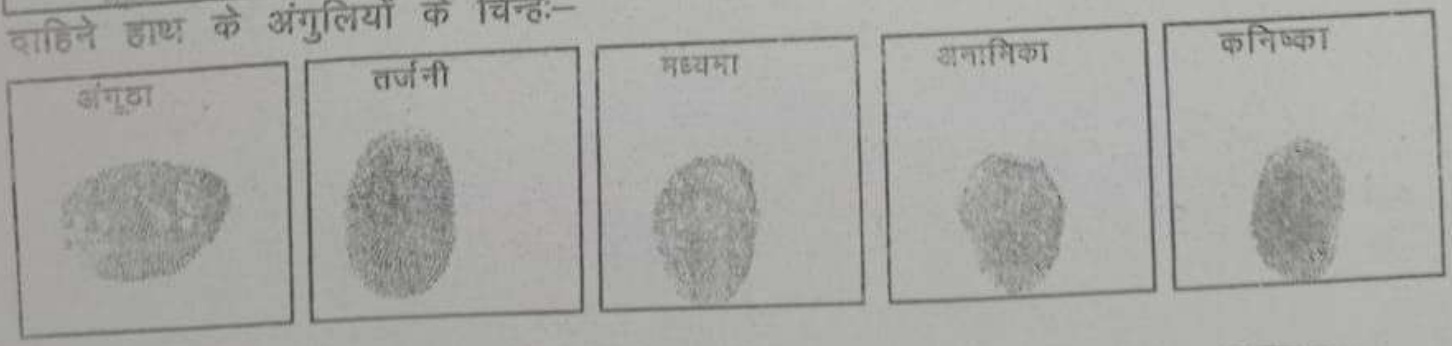

काजल

पक्षकार के हस्ताक्षर

काजल

ASHOK KUMAR SAGAR
Advocate

(2) 33

...tment Date: Appointment Time: Appointment TokenNo:

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री भाईचारा एकता मंच ट्रस्ट सेटलर कांता प्रसाद पुत्र श्री लालता प्रसाद निवासी पहाड़गंज, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड 263153		Self employed		9719711515	ADHAAP : 8919 030 0155
...ता / द्वितीय पक्ष	श्रीमती भाईचारा एकता मंच ट्रस्टी काजल गंगवार पत्नी श्री कांता प्रसाद निवासी भूत बंगला, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड 263153		Self employed		9690415612	ADHAAR : 7233 684 9191
गवाह	श्री अवतार सिंह पुत्र श्री करम सिंह निवासी टावर डी 3-2, फ्लैट न० 54, मैट्रोपोलिस सिटी, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड 263153		Self employed		8393021000	ADHAAR : 2439 208 4748
गवाह	श्रीमती ममता श्रीवास्तव पत्नी श्री संजय श्रीवास्तव निवासी विवेक नगर, ट्रांजिट कैम्प, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड 263153		Self employed		9639611789	ADHAAR : 8378 831 2175

Deed Writer /Advocate Name :